The motion was adopted. Clause 32 *was added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: Madam, I move:

"That the Bill be passed." *The question was put and the motion was adopted.*

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE. HINDI POLICY OF ALL INDIA RADIO

श्री नवाबसिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : महोदया, आज की चर्चा का विषय संसद् में, विशेषकर राज्य सभा म, आकाशवाणी की हिन्दी के सरलीकरण की नीति के सम्बन्ध में हुए प्रश्नों पर है । मैं प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उर्दू को मैं चाहता हूं, उसको बोलता हूं और कभी लिखता भी हूं ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० बी० गोपाला रेड्डी) : अच्छा ।

श्री नवाब सिंह चौहान : मैं माननीय मंत्री जी से अधिक अच्छी उर्दू लिख सकता हूं और बोल सकता हूं । किन्तु जो यह पालिसी चलाई जा रही है उर्दू और हिन्दी को लड़ाने की और हिन्दी में उर्दू के शब्दों को मिलाने की, इसके मैं विरुद्ध हूं । यह मैं जानता हूं कि आजकल का जमाना अडल्ट्रेशन का है, मिलावट का है, घी में मिलावट है, खाने की वस्तुओं में मिलावट है और बहुत सी चीजों में मिलावट है । कहीं रेड्डी साहब और उनके सहयोगी इसी से प्रभावित होकर हिन्दी में भी मिलावट करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं ? इसी पालिसी के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

हमारे भारतीय संविधान में एक धारा ३५१ है जिसमें हिन्दी भाषा की शैली, उसके रूप और उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश दिय हुए हैं, अर्थात् उस धारा के अनुसार हिन्दी में हिन्दुस्तानी की शैली तथा अभिव्यक्तियां ली जा सकती हैं मगर उनसे हिन्दी की प्रकृति में बाधा न पड़े । शब्द मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से लिये जा सकते हैं । हमारे संविधान के उस अनुच्छेद का यह मंतव्य है, संविधान के उस अनुच्छेद का यह मंतव्य है, किन्तु यहां पर बिल्कुल उसका उल्टा कार्य किया जा रहा है । जो संविधान का मंतव्य है उसके विपरीत यह नीति चलाई जा रही है ।

संविधान के अनुसार ही भाषा आयोग तथा संसदीय समिति नियुक्त हुई और उसी के आदेशों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने सभी भाषाओं के भाषा विशेषज्ञों के परामर्श से शब्द-संग्रह तैयार किया और इस पर मंत्रिमंडल अपनी मुहर लगाता रहा । नियमानुसार विधि मंत्रालय को ही, ला मिनिस्ट्री को ही, यह अधिकार दिया गया था कि जहां तक अधिनियम इत्यादि के अनुवाद का संबंध है वह अपने शब्द बना सकती है, और किसी मंत्रालय को यह अधिकार नहीं था । शिक्षा मंत्रालय साइंस या विज्ञान के संबंध में अलग शब्द बना रहा है । किन्तु यहां पर हमारे मंत्री जी ने आकाशवाणी के लिए एक अपने ढंग की पालिसी जो चलाई है वह भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से विरुद्ध है । बिना संविधान में परिवर्तन किये हुए हमारे मंत्री जी द्वारा इस तरीके का काम किया जाना संविधान की आत्मा के विरुद्ध है । संविधान के बिल्कुल विपरीत हिन्दी की प्रकृति बदली जा रही है और जो संविधान का लक्ष्य था कि शब्द मूलतः संस्कृत से लिये जायेंगे और उस के बाद गौणतः अन्य भाषाओं से लिये जायेंगे उस के विपरीत जान बूझ कर प्रतिशोध की भावना से संस्कृत शब्दों का निष्कासन किया जा रहा है ।

भाषा संबंधी समस्या बड़ी जटिल होती है इसलिये संविधान के विरुद्ध जाने से पहले बहुत गम्भीर चिंतन कर लेना चाहिये था । प्रजातांत्रिक देश में जनमत की अवहेलना करना केवल व्यक्तिगत रुचि के आधार पर —पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर—,

बड़ा आत्मघातक कार्य होता है, जो निर्णय बड़े परिश्रम से देश के प्रतिनिधियों ने भाषा के सम्बन्ध में किये हैं उन्हें एक कलम मिटाया नहीं जा सकता है। माननीय मंत्री जी ने केवल कुछ दिल्ली के व अन्य स्थानों के लोगों के कहने के अनुसार ही ऐसा निर्णय ले लिया। यह कार्य प्रजातांत्रिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। जब पंजाब का भाषा सम्बन्धी झगड़ा चल रहा था तब प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि भाषा को बनाने वाले विद्वान होते हैं, स्कालर्स होते हैं, भाषा-विशारद होते हैं, लिंगुइस्ट होते हैं, राजनीतिज्ञ लोग नहीं होते लेकिन यहां कुछ ऐसा आभास होता है कि किन्हीं राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित हो कर, किसी विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिये हमारे मंत्री जी ने यह निर्णय किया है वरना जहां तक लिंगुइस्टस का सम्बन्ध है, जहां तक भाषा-विशारदों का सम्बन्ध है उनका इस से कोई सम्बंन्ध नहीं है। यह अपने मन-मौज के कारण है। इसलिये प्रजातांत्रिक देश में—उनकी अपनी इच्छा कुछ भी हुआ करे, किसी से प्रेम करें, किसी को चाहें या न चाहें—उन्हें जन प्रतिनिधियों को, जनता को, और जनता की भावना को देख कर के काम करना चाहिये।

ये कुछ लोग कौन हैं, यह यदि बता दिया जाय तो सारा रहस्य खुल जाय। क्या ये वही लोग नहीं हैं जो सदैव से उर्दू के समर्थक रहे हैं और कभी सीधे व कभी पीछे के द्वार से हिन्दी के घर में घुसने का प्रयत्न करते रहे हैं। इन चार छः व्यक्तियों की बातों का तो मंत्री जी ने इतना मान किया, किन्तु २० करोड़ हिन्दी-भाषी प्रान्तों की जो जनसंख्या है और जो अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में हिन्दी के प्रेमी रहते हैं कलकत्ते में भी ऐसे कई लाख आदमी हैं और बम्बई में भी ऐसे कई लाख आदमी हैं, और अन्य स्थानों में भी हैं—उनकी किंचित् मात्र चिन्ता नहीं की। क्या यह सिद्धान्त बना लिया है कि कुछ चन्द आदमियों ने, कुछ दिल्ली के आदमियों ने, कुछ आसपास के आदमियों ने शिकायत कर दी और आपने भाषा का रूप बदलना प्रारम्भ कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं लाखों आदमियों की शिकायत आपके पास लाता हूं। जरा प्रयत्न कीजिये उर्दू में दखल देने की, तेलुगु में दखल देने की, तमिल में दखल देने की, तब पता चलेगा किन्तु हिन्दी को तो कोई देखने वाला नहीं है।

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : आप हैं।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार): संविधान है।

श्री नवाबसिंह चौहान : संविधान है लेकिन संविधान धरा रह जाता है और संविधान की परवाह न करते हुए इस तरीके की चीजें कर दी जाती हैं। यह कहां तक उचित है ?

प्रो० सत्याचरण (उत्तर प्रदेश) : यह सब खुद उलट जायगा, घबड़ाते क्यों हैं। आप बोलिये।

श्री नवाबसिंह चौहान : वास्तव में, आकाशवाणी में सदैव से ही कुछ ऐसे हिन्दी विरोधी तत्व रहे हैं जो धीरे-धीरे हिन्दी भाषा का उर्दूकरण करने का प्रयत्न करते रहे हैं। आकाशवाणी ने एक कोष बनाया है और कहा जाता है कि कोष में बड़े सरल पर्याय सुझाये गये हैं लेकिन उसका भी मैं आपको कुछ नमूना देता हूं—'नमूना' शब्द को भी अब निकाल दिया गया है। रेड्डी साहब के जमाने में उसकी जगह "सैम्पिल" कर दिया गया है। नमूना देखियगा—"बूचर' अंग्रेजी का शब्द है उसके लिये लिखा है "जबह करना'। 'कांटिंजेंसी' के लिये 'इत्तिफाक'; 'न्यूट्रेल' के लिये 'नातरफदार'; 'नेट इनकम' के लिये 'खालिस मुनाफा' 'पार्टीशन' के लिये 'तकसीम'; 'सेल्फ गवर्नमेंट' के लिये 'खुदमुख्तारी' लिखा है। ये जो प्रयोग उस समय किये गये उनके सम्बन्ध में अहिन्दी क्षेत्रों से अनेक शिकायतें आईं और उन्होंने उर्दू शब्दों की एक सूची बना कर के भेजी और कहा कि हमारे दक्षिण के निवासियों को यह चीज पसन्द नहीं है और

[श्री नवाबसिंह चौहान]

आपको इन चीजों को बन्द करना चाहिये । किन्तु अब भाग्य से मंत्री जी उर्दू-प्रेमी, उनके सहायक उर्दू-प्रेमी आ गये, इसलिये उन तत्वों को और ज्यादा बल मिला। जो अन्दर-अन्दर चोर दरवाजे से घुसना चाहते थे अब खुल कर खेलने लगे और उसका परिणाम आप जानते हैं यह हुआ है कि एक नई भाषा को जन्म दिया जाने लगा है जो कि न हिन्दी है, न उर्दू है, न तीतर है और न बटेर है।

उपसभापति : आप कौन सी भाषा बोलते हो ?

श्री शीलभद्र याजी : हिन्दी है ।

श्री नवाबसिंह चौहान : मैं हिन्दी बोल रहा हूं और आप उसको समझ रही हैं इसका मुझे संतोष है। मंत्री जी भी समझते हैं, लेकिन उर्दू की "तजाहुल आरफाना सनअत" के अनुसार जान बूझकर भी अनजान बनते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको माननीय मंत्री जी भी समझ रहे होंगे लेकिन फिर भी यदि कह दें कि समझते नहीं तो यह दूसरी बात है। जहां तक मेरे बोलने का सवाल है मैं उर्दू भी बोल सकता हूं; यहां मेरे बोलने का सवाल नहीं है, लोग कुछ भी बोल सकते है लेकिन यहां कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, हम एक ऐसी भाषा के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं जो सब के लिये बनाई जा रही है, आज नहीं तो आगे चल कर वही भाषा दक्षिणी क्षेत्रों में चलेगी जिसको विद्वानों ने बनाया है, जिसको सभी भाषाओं के एक्सपर्ट्स ने बनाया है। इसलिये व्यक्तिगत भाषा का सवाल नहीं है, मैं अंग्रेजी में बोल कर अपने विचार प्रकट कर सकता हूं, उर्दू में भी बोल कर अपने विचार प्रकट कर सकता हूं, सवाल सब के लिये बनाई जाने वाली भाषा का है।

संसद् में प्रश्न उठने पर मंत्री जी ने भाषा-नीति के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि जब तक इस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर लिया जायेगा और विशेषज्ञों से पूछ नहीं लिया जायगा तब तक जो भाषा-नीति है वही चलेगी। उन्होंने प्रोड्यूसरों और असिस्टेंट प्रोड्यूसरों की बैठक भी बुलाई--- कह नहीं सकता कि उनके मन में क्या था--- और वहां सभी ने विरोध किया और कहा कि इसका बदलना नहीं चाहिए, यह ठीक है कि इस पर जो संसदीय हिन्दी परिषद की बैठक हुई उसमें वह नाराज भी हुए, रुष्ट भी हुए और कहा कि ये तो वे लोग हैं जो कि आकाशवाणी में हिन्दी के भाग्य के विधाता हैं, हिन्दी के लेखक हैं जिनको हिन्दी लिखने का तो ज्ञान है लेकिन क्या हिन्दी बोली जाती है इसका ज्ञान नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं कि वे लोग जो कि हिन्दी वालों में पैदा हुए, उसी भूमि में खेले, जो कि हिन्दी वालों के साथ दिन और रात गन्दी बस्तियों में रहते हैं, वे तो यह नहीं जानते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी जानते हैं। मैं तो मानता हूं कि वह हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वह हिन्दी नहीं जानते हैं। तो यह चीज इस तरीके से समाप्त हो गई कि ये ऐसे लोग हैं जो कि उस हिन्दी को नहीं जानते हैं जो कि दिन प्रति दिन बोली जाती है। कुछ भी हो, इससे एक भावना तो प्रकट होती ही है फिर इसके पश्चात् जो एक्सपर्ट्स से, विशेषज्ञों से पूछने का प्रश्न था वह उड़ गया और फिर कभी मंत्री जी ने उनसे नहीं पूछा। अगर उनके रेडियो में ऐसे कर्मचारी हैं तो क्या उनको निकाला जायगा जो कि ऐसी भाषा को नहीं समझते हैं? निकाला नहीं जायगा तो दम घुटते-घुटते अपने आप ही निकल जायेंगे। ऐसा मालूम भी पड़ता है। मुझे मालूम पड़ा, सुना जा रहा है, कहां तक ठीक है कह नहीं सकता कि सेंट्रल एडवायजरी कमेटी के जो दो बड़े सम्मानित और विद्वान सदस्य थे उनको भी एडवायजरी कमेटी से पृथक् किया जा रहा है, तो उन बेचारे कर्मचारियों का क्या है, या तो खुद स्वयं छोड़ कर चले जायें या सम्भवतः निकाल दिये जायें?

वैसे बताने के लिये यह कहा जा रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन धीरे-धीरे एक योजना चल रही थी। वास्तविकता यह थी कि माननीय मंत्री जी इस तरीके से, इस

प्रकार से इस चीज को करना चाहते थे कि मालूम भी न पड़े, जिम्मेदारी और उत्तर-दायित्व भी न आवे और यह काम भी हो जाय, किन्तु कहां तक यह चीज चलती । आखिर को "गर मुंह दिखाय की रस्म पर है मसिर इबलीस, छिपेंगी हज़रते हव्वा की बेटियां कब तक "।

شری اے - ایم - طارق (جموں اور کشمیر) : اس کا هندی میں ترجمه کیجئے -

†[**श्री ए० एम० तारिक** : इस का हिन्दी मे तर्जुमा कीजिये ।]

†**श्री नवाबसिंह चौहान** : आप तो बहुत सुन्दर उर्दू जानते हैं ।

شری اے - ایم - طارق : حضرت حوا کا ترجمه کریں تو جانیں -

†[**श्री ए० एम० तारिक** : हज़रते हव्वा का तर्जुमा करें तो जानें ।]

श्री नवाबसिंह चौहान : आदम और हव्वा की बात है, तो मैं यह कह रहा था कि वे कहां तक छिपाते, अंत में पर्दे में की इस नीति का पर्दा फाश हो गया, उसका भंडाफोड़ हो गया ।

شری اے - ایم - طارق : یه فارسی هے اردو بهی نہیں هے -

†[**श्री ए० एम० तारिक** : यह फ़ारसी है, उर्दू भी नहीं है ।]

श्री नवाबसिंह चौहान : आपको समझाने के लिये फारसी बोल रहा हूं । कहीं आप यह न समझ लें कि मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूं जो कि हमारी समझ में नहीं आती है—इसलिये ऐसा बोल रहा हूं ।

तो अब बड़ी तेजी के साथ, बड़ी द्रुत गति से हिन्दी का उर्दूकरण या अंग्रेजीकरण प्रारम्भ हो गया और यह सब सरलीकरण के नाम पर किया गया । संसद् में तो यह कहा गया था कि दुपहर के बाद के १–४० व २–१० के हिन्दी और उर्दू बुलेटिनों को एक कर दिया जायगा और उनसे एक ही समान संवाद प्रसारित किया जायगा, किन्तु सम्भवतः उर्दू वालों से डर गये और उनकी बुलेटिनें वैसी ही रहीं और संसद् में कहा गया कि पाकिस्तान की वजह से इसको करते हैं । तो पाकिस्तान की सेवा के लिये उर्दू बनी रही । क्या उनके मन में यह नहीं था कि उर्दू बनी रहे और अगर इसको छेड़ेंगे तो इससे संकट पैदा हो सकता है; तो उसको छेड़ा नहीं और हुआ यह कि संसद् में माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था—उसको कार्यान्वित करना चाहिये था—वह नहीं किया गया । और उधर दूसरी ओर हिन्दी से ज्यादा सरल जो शब्द थे उनका भी बहिष्कार करना, निकालना, प्रारम्भ कर दिया, जैसे 'स्वतंत्रता', 'राज्यपाल', 'दूरी', 'परिवर्तन', 'स्वास्थ्य', 'निश्चय', 'घटना', 'कार्यक्रम', 'समाचार', 'अस्वीकृत', 'दायित्व', 'दल', 'पुष्टि' तथा 'वक्तव्य' जैसे शब्द हैं; इनको बिल्कुल ही वहां से निकाल दिया । और 'समाचार' को भी । आप 'खबरें' भी रखते, 'समाचार' भी रखते, बचारे 'समाचारों', का क्या दोष था । तो इस प्रकार की नीति वहां प्रचलित होने लगी और यह सब प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से किया गया ।

उपसभापति : बारह मिनट आपने ले लिये हैं । बहस के लिये आधा घंटा ही है और उसमें जवाब भी होना है ।

पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा (उत्तर प्रदेश) : वे तो खुद ही बोल लेंगे और आधा घंटा खत्म हो जायेगा ।

श्री शीलभद्र याजी : मैडम डिप्टी चेयरमैन, ये बोलें और मंत्री जी बोलें ।

श्री नवाबसिंह चौहान : मैं आपके सम्मुख कुछ बातें और रखना चाहता हूं । यह अंग्रेजी का वाक्य है : "It is learnt from a reliable source", जिसके लिये ये शब्द कहे जाते थे कि "विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली है या समाचार मिला है", अब इसी को कहा जा रहा है "यह खबर एक ऐसे हल्के से मिली है जिस पर भरोसा किया जा सकता है"। भाषा के साथ जो और अत्याचार किये गये हैं, उसके नमूने मैं और देता हूं :

उद्घाटन के बदले—खोलने की रस्म अदा करदें

† Hindi translation.

[श्री नवाबसिंह चौहान]

अणुपरीक्षण के बदले—ऐटमी हथियारो का तजुर्बा किया जाना

निःशस्त्रीकरण के बदले—फौज और हथियार खत्म किया जाना

केन्द्र के बदले — सदर मुकाम

तटस्थ के बदले — नातरफदार

साम्प्रदायिक के बदले—फिरकावाराना

स्वास्थ्य के बदले — तन्दुरुस्ती, सेहत

वैधानिक के बदले — आइनी

आर्थिक सम्बन्ध के बदले — माली नाते, आदि

आकाशवाणी के कोष में सरल पर्याय होते हुए भी इन उर्दू शब्दों को लाया गया है । कुछ संयुक्त अक्षरों की खींचातान करके, लम्बा करके, उनके सौन्दर्य को नष्ट कर दिया है, जैसे 'गृह मंत्री' को 'घरेलू' मामलों के मंत्री', 'अनुसंधान परिषद' को 'खोज वगैरह करने वाली कौंसिल', 'आंसू गैस' के स्थान पर 'आंसू लाने वाली गैस' कर दिया है । यही नहीं 'परमाणु' के लिये 'एटम', 'विज्ञान' के लिये 'साइन्स', 'टोली' के लिये 'टीम', 'संयुक्त राष्ट्र' के लिये 'युनाइटेड नेशन्स' जैसे अंग्रेजी शब्दों का खुले रूप में प्रयोग किया गया है । मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इन शब्दों को साधारण जनता समझ सकती है ? विशेष कर मैं श्री शाम नाथ जी, उपमंत्री, से पूछूंगा कि क्या आपकी भाषा को चांदनी चौक का आदमी समझ सकता है ? अगर समझ सकता है तो माननीय रेड्डी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये तमाम बवंडर काहे को खड़ा करते हो—एक तरह से कोल्ड वार, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, वैसी दशा इस देश में हिन्दी के मामले में दिखायी देती है—आप एक बुलेटिन चालू कर दीजिये, जिसका नाम रखियेगा 'चांदनी चौक बुलेटिन', जिसमें छांट-छांट कर हज़ारों शब्द अंग्रेजी के आय और जो भी शब्द बनाये हैं उन सब को उसमें प्रयोग में लाइयगा ।

कोई बात नहीं थी, अचानक ही क्या हुआ नहीं मालूम, क्या रात को स्वप्न हुआ कि दूसरे ही दिन आकर इस प्रकार की बातें हुई जिनसे बहुत ज्यादा हानि हो रही है । वास्तव में जो हिन्दी इस समय तक बोली जाती थी उसका दस वर्ष में विकास हुआ था । वह हिन्दी आज समझी जाने लगी है, विकसित हो गई है । हम जिस हिन्दी भाषा को बोलते हैं उससे सुन्दर हमारे बच्चे बोलते हैं । देखें, पंजाबी लोग उर्दू सीखे थे लेकिन आज उनके लड़के लड़की सुन्दर हिन्दी बोलते हैं । गांवों में जाइयेगा जहां पंचायतें स्थापित हो गई हैं वहां हिन्दी में नियम, अधिनियम इत्यादि हैं और हम बहुत से उन शब्दों को नहीं जानते होंगे लेकिन ग्रामीण हिन्दी के शब्दों को खूब जानते हैं । भाषा को बोलना दूसरी बात है लिखना दूसरी बात है और समझना दूसरी बात है । आप बोल नहीं सकते हों लेकिन बातों को समझ सकते हैं । इस प्रकार यह कहना कि लोग समझते नहीं हैं यह तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है । मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि इस नयी नीति से लाभ नहीं हुआ है इससे बड़ी हानि हुई है । आज २० करोड़ हिन्दी-भाषी जनता है—हिन्दी प्रान्तों की हिन्दी क्षेत्रों की और अहिन्दी क्षेत्रों की वहां सभी हिन्दी से प्रेम रखने वाले हैं और हिन्दी को जानने वाले हैं जो कि आपकी नीति से अपने को अपमानित और तिरस्कृत समझ रहे हैं और उनके हृदय को ठेस पहुंची है आज मैं बताऊं, कि जो पढ़े लिखे हैं उनके हृदय में भी ठेस लगी है और बिना पढे लोगों के हृदय में भी । वे समझते हैं कि हमारी भाषा को बिगाड़ा जा रहा है । इसलिये मैं करबद्ध हो कर प्रार्थना करूंगा कि वे इस नीति को बन्द कर दें, छोड़ दें । जो भाषा चल रही है उसको चलने दें । उर्दू को अपने स्थान में बढ़ने दें उसमें सुधार करें उसके प्रोग्रामों को बढ़ावें । उर्दू और हिन्दी की खिचड़ी करके आपस में लड़ाई होगी और उस लड़ाई को बचाने के लिये यही अच्छा है कि इन दोनों को अलग-अलग ही रखा जावे । और मैं आपको यह भी बता

दूं कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें सब से अधिक उर्दू और फारसी और अरबी के शब्द आत्मसात हो गये हैं लेकिन जिस बनावटी ढंग से जिस कृत्रिम ढंग से अन्य शब्दों की ठूंसाठूंसी की जा रही है उससे लाभ नहीं होगा, उससे हानि ही होगी ।

इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़ देंगे और यह नहीं समझेंगे कि क्योंकि उनके मुंह से ये सब बातें निकल गई हैं इसलिये यह उनका कोई अपना व्यक्तिगत प्रश्न है । मैं जनता की पुकार आपको बतला रहा हूं । बहुत से लोग हुआ करते हैं जो दूसरों को मन सुहाती बात कहते हैं । मंत्री जी से काम करवाना हुआ तो कह दिया "आपने बिल्कुल ठीक काम किया है, आपने जो भाषा का रूप चलाया है ठीक है, हिन्दी बहुत बड़ी है, समझ में नहीं आती है ।" वे एक पुराने कार्यकर्ता हैं, एक नेता हैं जिन्होंने देश के लिये बहुत कुछ किया है, बड़ी कुर्बानियां और बलिदान किये हैं और मुझे आशा है कि जिस प्रजातन्त्रवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया है, उसको कायम किया है, उसी भावना से प्रेरित हो कर वे अपनी नीति को बदल देंगे क्योंकि वह देश के लिये हानिकर है, उससे कोई लाभ नहीं है ।

अन्त में, मैं उर्दू वाले भाइयों से भी यह कहूंगा कि वे भी इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें क्योंकि मैंने एक समाचार पढ़ा कि यहां अगस्त में 'अंजुमनए तरक्कीए उर्दू' की एक बैठक हुई थी और मालूम हुआ कि उसमें हमारे उपमंत्री श्री शाम नाथ जी भी गये हुए थे और वहां पर उन्होंने भाषण दिया, बड़ा सुन्दर भाषण दिया, बड़ी उदारता का भाषण उन्होंने दिया । पता नहीं कहां तक सत्य है लेकिन समाचारों से मालूम हुआ कि उन्होंने यह कहा कि उर्दू वालों को जो उर्दू अरबी की विभक्तियां हैं उन पर अधिक बल नहीं देना चाहिये । ठीक ही था । संभव है और आगे कुछ कहना चाहते थे जैसा कि यहां कहते हैं कि हिन्दी में उर्दू के शब्द होने चाहिये—संभव है यह कहना चाहते हों कि उर्दू में भी हिन्दी के शब्द आने चाहिये—किन्तु इसी बीच में मेयर श्री नूरुद्दीन साहब ने हस्तक्षेप किया कि उर्दू तो वैसे ही सरल है इसको और सरल करने की क्या आवश्यकता है ? इसमें अगर हेरफेर करना चाहते हो तो किसी भी हिन्दी वाले को इसके लिये मत रखना, चाहे कितना ही ईमानदार हो । और साथ ही साथ उन्होंने हिन्दी के लिये ऐसे हिन्दुस्तानी भाषा जानने वाले को रखने को कहा जो पर्याप्त मात्रा में उर्दू जानते हों । तो ऐसी भावना रखना ठीक नहीं है इससे दुर्भावना देश के अन्दर फैलेगी । उर्दू का विकास करना है तो अपने स्थान पर रख कर उसका विकास कीजियेगा । प्राकृतिक रूप से हिन्दी जितना उर्दू से ले सकती है वह अवश्य लेगी प्रत्येक भाषा से लेगी और लिया है । जो शब्द कोष तैयार किया हुआ है उसको आप देख लीजिये । उसका निर्माण करने के लिये जो विशेषज्ञ बुलाये गये थे वे हर एक प्रान्त से हर एक भाषा के बुलाये गये थे । अहिन्दी भाषा के बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि इसमें जो शब्द बनाये गये हैं वे पहले से उनके यहां प्रयोग में लाये जा रहे हैं । जब ऐसी बात है तो मेरा विचार है और आपसे नम्र निवेदन है कि जो नई नीति अब चलाई जा रही है वह ठीक नहीं है । उसको शीघ्रातिशीघ्र बन्द करके देश में शान्ति स्थापित करनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है ।

THE DEPUTY CHARMAN: Mr. Vajpayee, do you want to ask questions? Only questions.

SHRI A. B. VAJPAYEE: I would like to know why Hindi alone has been . . .

DR. B. GOPALA REDDI: He can ask questions after my reply.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You will reply. But let them put the questions first.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Why has Hindi alone been singled out for simplification? And is there any proposal to simplify English and Urdu broadcasts as well? And if not, I would like to know the reason. Secondly, is it not a fact that in the name of simplification of Hindi, Persian and Arabic words are being introduced, which militates against the very genius of the Hindi language and which makes Hindi more difficult for non-Hindi-speaking people?

SHRI GOVINDAN NAIR (Kerala): My question is addressed to Shri Chauhan. It is true that more of Urdu and . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question should be about the subject under discussion. You please put your question.

SHRI GOVINDAN NAIR: My question is: If the Hindi language is reorientated as he wants it to be, will it not be more difficult for the people in the Hindi-speaking areas to understand it? It is true that for people in the non-Hindi-^peaking areas the form which he wants will be helpful. But will the people in the Hindi-speaking areas understand that type of Hindi?

شری اے – ایم - طارق : میں وزیر صاحب سے یہ دو باتیں جاننا چاھتا ھوں - جہاں تک اردو اور هندی کا سوال ھے میں اس میں نہیں پڑنا چاھتا ھوں اور نہ وقت ھے - لیکن کیا یہ حقیقت ھے کہ جو نیا پروگرام آپ نے اس سلسلہ میں شروع کیا ھے اس کے بارے میں لوگ بہت خوش ھیں اور اکثر یو پی سے، پنجاب سے، حیدرآباد سے اور ساوتھ انڈیا سے آپ کے پاس یہ پیغام آئے ھیں کہ اس کو جاری رکھا جائے - دوسرا سوال یہ ھے کہ سینٹرل ایڈوائزری کمیٹی جو ابھی گورنمنٹ آف انڈیا نے بنائی ھے اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ھے کہ وہ هندی کے بارے میں سخت فینیٹک ھیں اور ایسے لوگوں کو نہیں رکھا گیا ھے جو بیچ کا راستہ ڈھونڈھنا چاھتے ھیں -

†[श्री ए० एम० तारिक : मैं वज़ीर साहब से यह दो बातें जानना चाहता हूं । जहां तक उर्दू और हिन्दी का सवाल है मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता हूं और न वक्त है । लेकिन क्या यह हकीकत है कि जो नया प्रोग्राम आपने इस सिलसिले में शुरू किया है इसके बारे में लोग बहुत खुश हैं और अक्सर यू० पी० से पंजाब से हैदराबाद से और साउथ इंडिया से आपके पास यह पैग़ाम आये हैं कि इसको जारी रखा जाये ? दूसरा सवाल यह है कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाई है उसमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे हिन्दी के बारे में सख्त फ़ेनेटक हैं और ऐसे लोगों को नहीं रखा गया है जो बीच का रास्ता ढूंढना चाहते हैं ?]

SHRI A. B. VAJPAYEE: I object to the word, "fanatics". Those Members of Parliament who have been included in the Central Advisory Committee cannot be described as fanatics *(Interruptions)*. No, the hon. Member has no business to describe them as fanatics. *(Interruptions')*. No. no, I am sorry. I challenge . . .

SHRI A. M. TARIQ: I stated . . .

SHRI A. B. VAJPAYEE: You cannot repeat what people in the streets say.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can put questions without using objectionable words.

شری - اے - ایم - طارق : جن کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ھے کہ هندی کے بارے میں اپنی سخت رائے رکھتے ھیں ور کسی دوسری زبان کے بارے میں صحیح رائے نہیں رکھتے کیا

†[ ] Hindi transliteration.

ایسے لوگوں کی اس ایڈوائزری کمیٹی میں اکثریت ہے - کیا یہ بھی درست ہے کہ اس ایڈوائزری کمیٹی میں تمام زبانوں کے جاننے والوں کو نمائندگی نہیں دی گئی ہے -

†[**श्री ए० एम० तारिक** : जिनके बारे में लोगों ने यह कहा है कि हिन्दी के बारे में अपनी सख्त राय रखते हैं और किसी दूसरी जबान के बारे में सही राय नहीं रखते क्या ऐसे लोगों की इस एडवाइजरी कमेटी में अक्सरियत है ? क्या यह भी दुरुस्त है कि इस एडवाइजरी कमेटी में तमाम जबानों के जानने वालों को नुमायन्दगी नहीं दी गई है ?]

श्री नवाब सिंह चौहान : यह तो हिन्दी का मामला है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Gopala Reddi. Twelve minutes.

DR. B. GOPALA REDDI: Madam Deputy Chairman, while in a way I welcome this discussion I am sorry we are discussing it in a half-an-hour discussion. I wish we had longer time so that other Members also could express their views and we would have had a very useful and profitable discussion.

SHRI LALJI PENDSE: (Maharashtra) : You can arrange such a timetable.

(Interruptions.) DR. B. GOPALA REDDI: After all there are Members in this House who have studied the bulletins very carefully, who have attended one or two meetings of the Advisory Committee which I have recently appointed, and we would have had the benefit of their advice also in this matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If that be so, you can *move* a motion.

DR. B. GOPALA REDDI: No, no, I have no time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right.

DR. B. GOPALA REDDI: It is for the Minister for Parliamentary Affairs. All I wish is that we had a fuller discussion; that is what I want to say. Now it is no pleasure for me to start my career as Minister for Information a^n^d Broadcasting with a big controversy like this; it is no pleasure to me, and after all I am really sorry that the Hindi papers, all of them, have been attacking this policy, and I think it is mostly on a misunderstanding. They have not understood what we wanted to do, and without even waiting for the broadcasts to commence from the 1st of July they have been attacking right from the day I announced the intention to change the policy, on the 29th of May, in the other House. So, the whole of June they were criticising without even waiting for the commencement of the bulletins. They could have waited for the bulletins; they could have* studied the bulletins. They could have said: "Why do you use this word? Why do you use this word? Why do you not use this word? Why do you not use this word?" Certainly, we always welcome them; we are ready to receive suggestions about it. And I am not doing the writing business or the broadcasting business. The Hindi-knowing people alone are doing it; I mean, no Madrasi or no Bengali is doing it; and all people who have been bred up in the atmosphere of Hindi, who have made a name for themselves as Hindi writers, they are doing the translations, and not anybody else, while I take full responsibility; after all the policy was dictated by me but the actual working is being done by Hindi people, Hindi writers who have been in the All India Radio right all these days, and no outsider has come for doing some hybrid business, and all that. *(Interruptions.)* Do not interrupt me please. I have not interrupted you.

Therefore, Madam, it is very unfortunate that we have this controversy. Anyway, the Committee has sat for two days last time and today also we had a meeting, and perhaps tomorrow or the day after tomorrow we will meet. We are having very good sug-I gestions from various people, and

f[ ] Hindi transliteration.

[Shri B. Gopala Reddi.] various suggestions are being put forward and we will certainly consider them, and in the best spirit of simplification alone we will try to direct the broadcasts, and it is never our intention to exclude any word, to boycott any word or to remove all the easy Sanskrit words or the Hindi words which arc currently used or currently understood; I mean, it is not our policy at all to boycott any word. Our policy has been an all-inclusive on*; we want to include everything, whatever is understood. Some people have misunderstood me, even Mr. Vajpayee has misunderstood me when I said 'Chandni Chowk'. After all, Chandni Chowk is in the capital of India—do not forget it. It is Delhi; it is the heart of Delhi, and when I say Chandni Chowk. Hindi, it means Delhi Hindi—Delhi, the capital of India. I thought there was nothing wrong in it. Therefore, I wanted my Hindi broadcasts to be understood not merely by Bihar and U.P. but by Delhi, by Hariana, by all the Hindi-speaking districts of Punjab, by Hima-cha! Pradesh, Rajasthan and other places also. Therefore, when I said 'Chandni Chowk' it was not in any derisive spirit. I mean, it is the capftal of India, Delhi. Chandni Chowk means Delhi. And that language which is commonly understood must be the basis of Hindi broadcasts.

Moreover, Madam, All India Radio is not a literary forum; I am not creating literature here, more especially as far as the news bulletins are concerned. I am not a Sahitya Akademi; I am not a Hindi Sahitya Sammelan, and all that. I am trying through my news broadcasts to convey nnvs to people from Patna, to Hima-chal Pradesh, to Rajasthan and all those areas—firstly, to Hindi-speaking areas and secondarily to non-Hindi speaking areas also; and I must make sure myself whether the broadcast that is going out every day is being understood, whether these broadcasts are being understood by Hindi-speaking areas first, and then i of course we will have to educate them—the Madras man or the Andhra man or the Bengali man; he must be educated to learn that sort of Hindi which is being spoken round about Delhi, and things like that, and there is no use of learning some Hindi which is not understood anywhere. Suppose, if I begin to put Sanskrit words, perhaps a Bengali or a Telugu man might understand or a Malayalee might understand, but what is the use of learning that language which will not be understood in Delhi when he' comes here for any purpose, to the Supreme Court or the Government of India? He must understand some language which is commonly used and commonly understood.

Therefore, I am not claiming any literary standards and things like-that; I am not creating any literary standards through my news bulletins: There are other broadcasts; suppose somebody is speaking about, say, Tul-sidas Ramayana or Valmiki Rama-yana, other Hindi poets and things like that, they can use all their literary flavour, elegance and style and things like that. But I am trying to-communicate news to people in a large area, I mean, to people with different dialects hitherto, and I must convey it in a language which is approximate to the spoken word. I do not want the style that is used in newspapers to be used in the broadcasts. Unfortunately of course the news bulletins are written first and then read out, but I must make a difference in news broadcasts which, essentially, must approximate to the spoken word and not to the literary style. The literary people, suppose they are doing translation work and all that, they are always accustomed to a particular style. What they write ii» newspapers, what they write in magazines, in literary books and all that, I do not want that language to be used in comniunicating news to people. It must be as though you are speaking to some people in Aligarh or in Meerut or in Delhi and Chandni Chowk. You should suppose you are

addressing a large number of pea-Bants and workers and people like that. What is the type of language which they understand? That must be the type of language. I do not want that it should be vulgarised or anything of the sort. It must be elegant. After all, it must conform to the genius of the language, and things like that, but it must be understood by all those people; I mean, it is not merely meant for the pandits. Madam, Pandits can always read their daily newspapers, evening newspapers or morning newspapers. They can refer to their dictionaries and things like that. But I am trying to communicate news and world news, to people who are not even literate. They do not have newspapers. They perhaps sometimes listen to the community listening sets. They do not have their own sets. Large numbers of people go to the community listening sets to hear the news broadcasts, and such type of people must immediately understand, or they do not understand at all.

So, our criterion must be instant comprehension and utmost intelligibility. This is the only criterion and we do not want to exclude any word. Sanskrit words certainly are beautiful words, and even Urdu words, and if they are in current use they should not also be driven out. After all we want to take all languages. That is what the Constitution also says. While that is so, why do you want to drive out words which are commonly in use round about Delhi or Meerut or any of the other places? But Mr. Chauhan has accused me of doing something which is unconstitutional. I would like to read article 351 in this connection. Article 351 is very clear in this matter—

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and t° secure its enrichment by assimilit-ing without interfering with its genious, the forms, style and ex-pressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

Sanskrit comes at the end of the article but Hindustani comes higher up. And then it must be:

"... the composite culture of India...to secure its enrichment by assimilating without interfering, with its genius, the forms, style and. expressions used in Hindustani..

श्री नवाबसिंह चौहान : इसी का अनुवाद था। लेकिन आप समझ नहीं।

DR. B. GOPALA REDDI: But what is it that I am doing unconstitutional when I am trying to adopt the spirit of article 351? Sanskrit is also there but Hindustani is above Sanskrit there.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Without changing the genius of language.

DR. B. GOPALA REDDI: We are not changing the genius of the language. If we are changing it point out some mistakes, we will accept it. If there are any mistakes in any expression or idiom or syntax or anything else, our Hindi Translators will certainly accept it. What is the difficulty? If you take care to study the news bulletins or things like that, please give me your suggestions and I shall pass on to them. They will be benefited by all the suggestions. It is not as if we want to exclude something. Our policy has been all-inclusive also. Moreover, it is not a literary forum. There is difference between other broadcasts and news broadca

sts. Therefore, I must be permitted to bring it nearer the spoken word with the object of utmost comprehension, instant comprehension, utmost intelligibility and things like* that.

[Dr. B. Gopala Reddy]

My friend, Mr. Vajpayee asked me, "Why is it that you are trying to modify Hindi alone? Are you doing it with English, Urdu and other languages also?" Unfortunately or fortunately, Hindi alone had a change after independence. It is not so with Bengali, it is not so with Tamil or other languages. They have been going on with even flow. Independence has not made any change. The even flow of the languages was going on before 1947 and even after Independence. Unfortunately or fortunately for Hindi, after 1947 and after the adoption of article 351 in the Constitution, suddenly it took a turn and they began to say, "Well, now that article 351 is there and the provision of Sanskrit and all that is there, therefore, the entire expression, the entire style of Hindi must undergo a change". That was the attempt of the literary people over the spoken Hindi. It may be good, I am not judging it. So, Hindi has taken a turn like this. The development of Hindi was not normal. It was not allowed to go on in the I normal way.

SHRI SATYACHARAN: But, Madam, ...

DR. B. GOPALA REDDI: I do not want to be disturbed, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: And you have no time also.

(Some Hon. *Members stood up.)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No questions now. Dr. Gopala Reddi, will you please finish?

DR. B. GOPALA REDDI: If English is difficult, it is meant for more educated people and it can afford to be as it is. If the common people do not understand English, they need not listen to English broadcasts. But as far as our Indian languages are concerned, they are meant for the common people, for the Pandit and for the peasant. Therefore, we have to lake some steps to see that the language is simplified. After all, if we have committed some mistakes, we welcome any suggestions from Mr. Vajpayee or Mr. Chauhan or anybody else and we shall certainly see to it that we do not repeat our mistakes. But our intention is not to exclude anything but to retain the genius of the language and to see that a large number of people understand it. Therefore, I want my friend, Mr. Chauhan not to misunderstand what is being done. We are not boycotting anything. We are not doing some hybrid business. We are not trying to do anything like that. What is the pleasure to me if I spoil Hindi like that? My only object is that it should be understood by the people.

Madam, Mr. Chauhan has also said that we are trying to remove everybody, that some Advisers in the Advisory Committee have been removed and all that. I may tell him in this connection . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gopala Reddi, half an hour is over.

DR. B. GOPALA REDDI: But we began at 5-10 P.M.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is more than half an hour.

DR. B. GOPALA REDDI: Oh, I see. Anyhow, 1 may just tell this for the information of the hon. Member that those who were there 'for two terms, 5x2, {hat is, ten years, their term has expired. And when I put some other equally important people, have I done anything wrong about it? I have not prematurely terminated any term. I have not terminated their term after two years or four years. They have done for ten years and they wanted to continue further. I thought I should give some opportunity to other people to come into the Advisory Committee. Is there anything wrong about it? We have not done anything deliberately. Nor have We sent out any officer from All India Radio all because he was fond of Hindi or because he was accustomed to previous Hindi. We have

not done all that. Therefore, let us not misunderstand the matter. What we are trying to do is to have simplicity and if there are any mistakes, certainly, everybody is welcome to offer us suggestions and we shall try to examine them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fortyfive minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 31st August, 1962.

GMGIPND—RS—662—RS—5-11-62—554.